संख्या : 601 /IV(1)/2010–55(एच.के.एम.)/2003

प्रेषक,

एस. राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 9 जून 2010

विषयः कुम्भ मेला, 2010 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत मेला ड्यूटी पर लगे कार्मिकों को विशेष मेला भत्ता/दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 388/IV(1)–55(एच.के.एम.)/2003 दिनांक 15.3.2010 द्वारा मेला ड्यूटी पर लगे कार्मिकों हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है। जबकि शासनादेश संख्या 203/IV(1)–55(एच.के.एम.)/2003 दिनांक 15.3.2010 द्वारा उक्त कार्मिकों हेतु विशेष मेला भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्क्रम में आपके पत्र संख्या 7473/कुम्भ–2010/मेला भत्ता दिनांक 28.4.2010, जिसके द्वारा उपरोक्त शासनादेशों के क्रम में कार्मिकों के देयकों के भुगतान हेतु धनराशि के आवंटन का अनुरोध किया गया है, की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उक्त प्रयोजनार्थ वांछित धनराशि रू. 800लाख (रू. आठ करोड़ मात्र) को भी वित्तीय वर्ष 2009–10 में पी.एल.ए. में रखी गई धनराशि के सापेक्ष जैसे–जैसे आवश्यकता होती है, भुगतान हेतु नियमानुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं : –

1. उक्तानुसार धनराशि भुगतान नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर ही किया जाएगा।

2. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, यात्रा भत्ता एवं मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2011 तक उपयोग करके उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

4. व्यय होने से अवशेष धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जाएगा।

5. उक्त धनराशि का आहरण उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के द्वारा पी.एल.ए. से करके मेलाधिकारी, हरिद्वार को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाएगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या 436/IV(1)/2010–39(सा.)/2006–टी.सी. दिनांक 25मार्च, 2010 के द्वारा मेलाधिकारी के निवर्तन पर रखी गई धनराशि रू. 108.5590करोड़ के सापेक्ष आहरित कर किया जाएगा तथा पुस्तांकन तद्स्थान में वर्णित लेखाशीर्षक में किया जाएगा।

क्रमशः...

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं. 79/XXVII(2)/2010 दिनांक 07मई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस. राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 601 (1)/IV(1)/2010 तददिनांक। 9/6/10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
8. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनुसचिव।

90605